संख्या–पी–187 / 14–2–2016–800(195) / 2016

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज जोर बाग रोड,
नई दिल्ली 110003

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 लखनऊ, दिनांक 20 जनवरी 2017

विषयः– जनपद ललितपुर में भौरट बांध निर्माण हेतु 209.807 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25326 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के पत्र संख्या–1176 / 11सी–एफपी / यूपी / सिंचाई / 17563 / 2016, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद ललितपुर में भौरट बांध निर्माण हेतु 209.807 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25326 वृक्षों के पातन की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु मांगी गयी वनभूमि न्यूनतम है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। चूँकि प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जा रहा है, अतएव प्रश्नगत वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग के लिये दिये जाने में विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। नोडल अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव से शासन सहमत हैं।

2– अतएव उक्त प्रस्ताव मूल रूप में (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या–पी–187 (1) / 14–2–2016–तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0,लखनऊ।
2– वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
3– जिलाधिकारी, ललितपुर।
4– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर।
5– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड–2, ललितपुर।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।